न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या 50/2019 **RCMS 2019/00096**

वादीगण

1. नागरमल पुत्र रामकुमार
2. विनोद पुत्र रामकुमार
3. टिंकू पुत्र रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासीगण कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नटवरलाल पुत्र नन्दलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कुकनवाली
2. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र जीवणनाथ
3. नरपतनाथ पुत्र किशननाथ
4. रामेश्वरनाथ पुत्र किशननाथ
5. विद्यादेवी पत्नी जीवणनाथ
6. प्रभातीदेवी पत्नी किशननाथ जाति समस्त योगी निवासीयान कुकनवाली
7. बिशनसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत
8. सुरज करण पुत्र छीगनाराम जाति खटी निवासी कुकनवाली
9. सम्पत कुमार पुत्र जीवननाथ जाति योगी निवासी कुकनवाली
10. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामनसिटी
11. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा वास्ते इस्तकरार हक, भू–विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री माणकचन्द अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता प्रति. सं. 1 से 8 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 28.10.2020

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण 1 से 9 ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी के स्थाई निवासी है तथा ग्राम कुकनवाली में वादीगण एवं प्रतिवादी 1 से 9 की कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की खसरा नम्बर 574 रकब 0.1[illegible] हैक्टर गै.मु. ढ़ाणी खसरा नम्बर 575 रकबा 1.70 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 578 रकबा 0.39 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.29 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 588 रकबा 0.91 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 590 रकबा 1.43 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 591 रकबा 2.91

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:26:15 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टर बारानी प्रथम कुल रकबा 7.25 हैक्टर आई हुई है, उपरोक्त खसरान की भूमि में वादीगण का 209/1450 हक हिस्सा अर्थात 1.045 हैक्टर है तथा मौके पर वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है, जिसमें वादीगण संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है तथा प्रत्येक वादीगण को रकबा 1.045 हैक्टर में 1/3 हिस्सा है, पक्षकारान ने मौखिक रूप से आपसी सहमति से मौके पर बंटवारा कर अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है, जिसका नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शाया जाकर वाद के संलग्न प्रस्तुत किया गया है, प्रतिवादीगण हर बार सहमति देने में आनाकानी करते है जिसके कारण वादीगण को अपनी भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाया जाना आवश्यक हुआ है इसलिए वादीगण द्वारा अपनी सुरक्षार्थ यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी सं. 9 काफी समय पूर्व ही फौत हो चुका है, उसकी मृत्यु के पश्चात उसका निकटतम रिश्तेदार धर्मेन्द्र कुमार पुत्र जीवणनाथ है जो उसके हक हिस्से की भूमि की बाह–जोत कर रहा है एवं आज दिन काबिज है। वादीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम कुकनवाली के खसरा नम्बर 574 रकब 0.15 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी खसरा नम्बर 575 रकबा 1.70 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 578 रकबा 0.39 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.29 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 588 रकबा 0.91 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 590 रकबा 1.43 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 591 रकबा 2.91 हैक्टर बारानी प्रथम कुल रकबा 7.25 हैक्टर भूमि मे वादीगण की 209/1450 हिस्सा अर्थात 1.045 हैक्टर जो वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शित है उक्त भूमि का बंटवारा कर खातेदार काश्तकार फरमाया जाकर सेपरेट होल्डिंग कायम कर खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जावे। इसी माफिक बंटवारा किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे इसी माफिक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये तथा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहा गया। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब अवसर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित जिन्होन कथन किया है कि बैंक का हित सुरक्षित रखते हुए यथावत रखा जावे, प्रतिवादी संख्या 11 बावजूद इत्तला अनुपस्थित रहे जिससे उसके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 9 ग्राम पंचायत कुकनवाली के पत्रांक 7.3.2017 अनुसार की मृत्यु 2012 में हो चुकी है जिसके वारिसान विद्यादेवी एवं धर्मेन्द्र ही है इसलिये इसकी तलबी आवश्यक नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:26:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण द्वारा नक्शा ट्रेस की नकल, चालू जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत की है तथा मौखिक साक्ष्य में विनोद कुमार नागरमल, टिंकू के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये है जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई, वादी वकील ने इस्तदुआ अनुसार बंटवारा स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने का कथन किया है, प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा नियमानुसार बंटवारा किये जाने की इस्तदुआ की है। प्रस्तुत शपथ–पत्र में भी उपरोक्तानुसार भूमि का बंटवारा किये जाने के कथन किये है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, प्रश्नगभूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से दर्ज चला आ रहा है तथा अपना कब्जा काश्त प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार होना बताया जिसकी पुष्टि उपलब्ध तथ्यों साक्ष्य इत्यादि से होती है। अतः वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री काबिल होना पाया गया।

आदेश

वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा ग्राम कुकनवाली के खसरा नम्बर 574 रकबा 0.15 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी, खसरा नम्बर 575 रकबा 1.70 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 578 रकबा 0.39 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.26 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 588 रकबा 0.91 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 590 रकबा 1.43 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 591 रकबा 2.41 हैक्टर बारानी प्रथम में स्थित हिस्सा टिंकू पुत्र रामकुमार 209/4350 हिस्सा जाति ब्राहम्ण, नागरमल पुत्र रामकुमार 209/4350 हिस्सा, विनोद पुत्र रामकुमार 209/4350 हिस्सा जाति ब्राहम्ण सा. देह को नजरी नक्शा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि वह मौके पर जाकर रूबरू पक्षकारान बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करे तथा खातेदारान के आवागमन हेतु रास्ते को दर्शाते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करे। प्राथमिक डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल रहे। नजरी नक्शा प्राथमिक डिक्री का भाग रहेगा, प्राथमिक डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनॉक .... को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:26:15 IST
Reason: SelfAttested

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 50 / 2019 **RCMS 2019/00096**

वादीगण

1. नागरमल पुत्र रामकुमार
2. विनोद पुत्र रामकुमार
3. टिंकू पुत्र रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासीगण कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नटवरलाल पुत्र नन्दलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कुकनवाली
2. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र जीवणनाथ
3. नरपतनाथ पुत्र किशननाथ
4. रामेश्वरनाथ पुत्र किशननाथ
5. विद्यादेवी पत्नी जीवणनाथ
6. प्रभातीदेवी पत्नी किशननाथ जाति समस्त योगी निवासीयान कुकनवाली
7. बिशनसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत
8. सुरज करण पुत्र छीगनाराम जाति खटी निवासी कुकनवाली
9. सम्पत कुमार पुत्र जीवननाथ जाति योगी निवासी कुकनवाली
10. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामनसिटी
11. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा वास्ते इस्तकरार हक, भू–विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री माणकचन्द अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा ग्राम कुकनवाली के खसरा नम्बर 574 रकबा 0.15 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी, खसरा नम्बर 575 रकबा 1.70 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 578 रकबा 0.39 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.26 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 588 रकबा 0.91 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 590 रकबा 1.43 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 591 रकबा 2.41 हैक्टर बारानी प्रथम में स्थित हिस्सा टिंकू पुत्र रामकुमार 209/4350 हिस्सा जाति ब्राहम्ण, नागरमल पुत्र रामकुमार 209/4350 हिस्सा, विनोद पुत्र रामकुमार 209/4350 हिस्सा जाति ब्राहम्ण सा. देह को नजरी नक्शा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि वह मौके पर जाकर रूबरू पक्षकारान बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करे तथा खातेदारान के आ[illegible]तु रास्ते को दर्शाते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करे। प्राथमिक डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल रहेगा नजरी नक्शा प्राथमिक डिक्री का भाग रहेगा, प्राथमिक डिक्री पर्चा भरा जाकर [illegible]।

निज .... मुबलिग .... बाबत............ ...खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28 माह 10 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत......

ओहदा उपखण्ड अधिकारी (मुहर)

कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat

Date: 2021.04.23 16:26:15 IST

Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट

(विभाजन प्रस्ताव)

मैं कुलदीप .... (नाम) तहसीलदार कुचामनसिटी न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक/राजस्व/2020/636 दिनांक 29-10-2020 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 11-12-2020 समय .... बजे आराजी खसरा नम्बर 574, 575, 578, 579, 588, 590, 591 वाके ग्राम कुकनवाली पटवार हल्का कुकनवाली पर श्री रामावतार वर्मा ILR, रामेश्वरलाल पटवारी नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

LR 11.12.20

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी में विचाराधीन प्रकरण संख्या- 50/2019 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक पक्षकारान को सूचित कर दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	नाहरमल	S/o नन्दलाल	70 वर्ष	ब्राह्मण	प्रतिवादी
2.	धर्मेन्द्रकुमार	S/o जीवणनाथ	40 वर्ष	नाथ	प्रतिवादी
3.	रामेश्वरलाल	S/o किशननाथ	60 वर्ष	नाथ	प्रतिवादी
4.	विनोद	S/o रामकुमार	36 वर्ष	ब्राह्मण	वादी
5.	टिंकू	S/o रामकुमार	31 वर्ष	-"-	वादी
6.	बिरधीदेवी	W/o जीवणनाथ	60 वर्ष	नाथ	प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:26:15 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

(1) नागरमल 1/3 विनोद 1/3 टिंकू 1/3 पि० रामकुमार जाति ब्राह्मण
सा-देह खातेदार - ख०नं० 575 रकबा - 0.805 हैक्टर
ख०नं० 578 रकबा 0.240 हैक्टर
कुल रकबा 01.045 हैक्टर

शेष खाता खतौनी बदस्तूर रहेगा। प्रार्थीगण के मौके पर उत्तरी दिशा में सड़क लगती है। रास्ते की समस्या नहीं है। नजरी नक्शा संलग्न है।

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी
1	धर्मेन्द्रकुमार	S/o जीवणनाथ	नाथ	[signature]	प्रतिवादी
2.	नटवरलाल	S/o नन्दलाल	ब्राह्मण	[signature]	प्रतिवादी
3.	विनोद	S/o रामकुमार	~	नटवरलाल शर्मा	वादी
4.	रामेश्वरनाथ	S/o श्रीकिशननाथ	नाथ	रामेश्वर नाथ	प्रतिवादी
5.	टिंकू	S/o रामकुमार	ब्राह्मण	[signature]	प्रतिवादी
6	विद्यादेवी	W/o जीवणनाथ	नाथ	विद्यादेवी	प्रतिवादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.
		~~निल~~			

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/. मोबाईल नं..
1	विनोद	श्री. रामकुमार कुकनवाली	[illegible]	[illegible]	9953276927
2.	टींकू	श्री. रामकुमार कुकनवाली	[illegible]	[illegible]	8129382256

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:26:15 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार आज दिनांक .... को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

11/12/2020 हस्ताक्षर पटवारी	11-12-2020 हस्ताक्षर भू. अ. निरीक्षक	हस्ताक्षर ना. तह.	11.12.20 हस्ताक्षर तहसीलदार

नजरी नक्शा ग्राम - कुकनवाली
तहसील - कुचामनसिटी

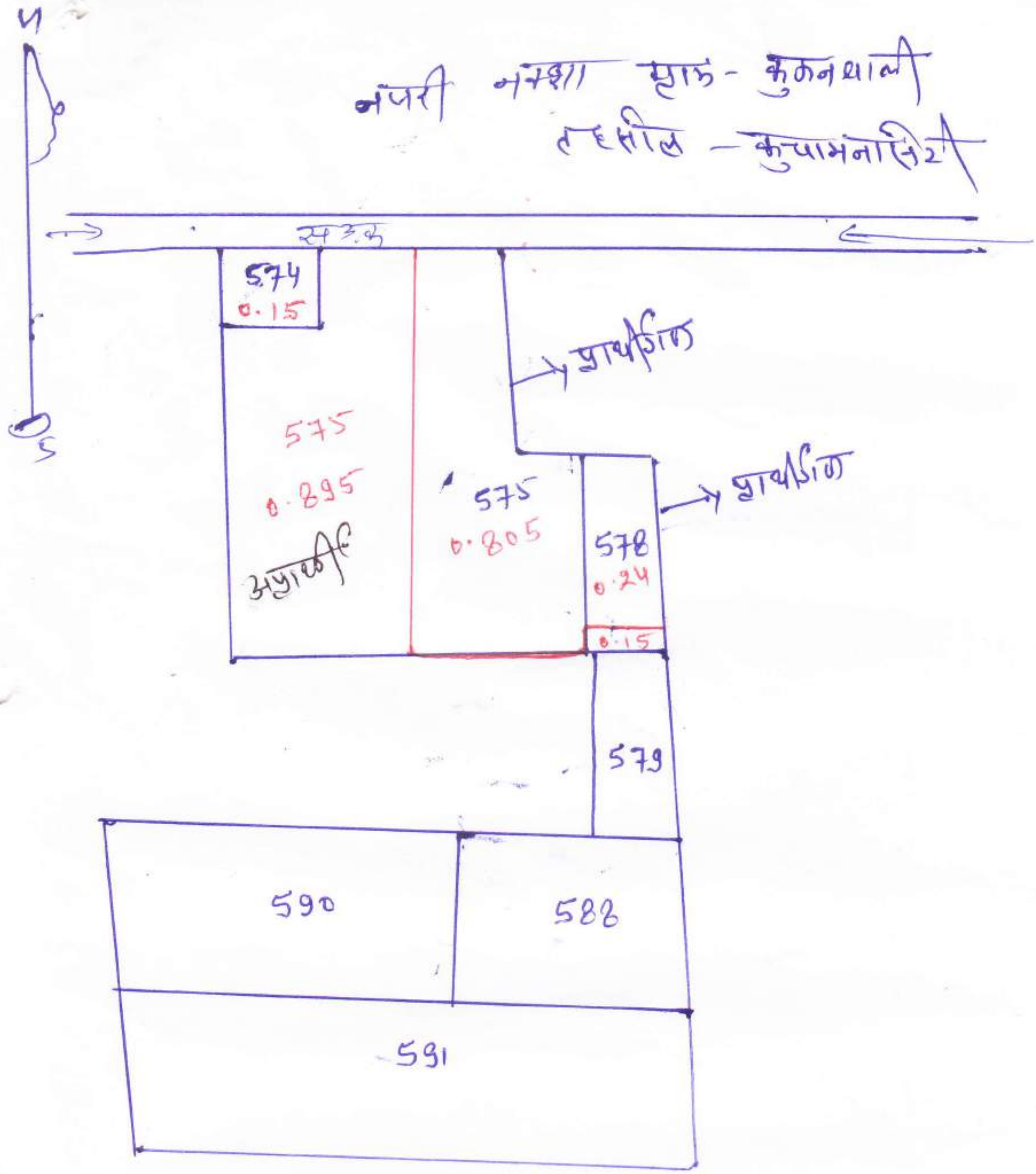

11-12-2020

11.12.20
तहसीलदार कुचामनसिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:26:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या 50/2019 **RCMS 2019/00096**

वादीगण

1. नागरमल पुत्र रामकुमार
2. विनोद पुत्र रामकुमार
3. टिंकू पुत्र रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासीगण कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नटवरलाल पुत्र नन्दलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कुकनवाली
2. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र जीवणनाथ
3. नरपतनाथ पुत्र किशननाथ
4. रामेश्वरनाथ पुत्र किशननाथ
5. विद्यादेवी पत्नी जीवणनाथ
6. प्रभातीदेवी पत्नी किशननाथ जाति समस्त योगी निवासीयान कुकनवाली
7. बिशनसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत
8. सुरज करण पुत्र छीगनाराम जाति खटी निवासी कुकनवाली
9. सम्पत कुमार पुत्र जीवननाथ जाति योगी निवासी कुकनवाली
10. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामनसिटी
11. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा वास्ते इस्तकरार हक, भू–विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री माणकचन्द अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता प्रति. सं. 1 से 8 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 12.3.2021

वकुलाय उपस्थित। उभय पक्षकारान ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री [illegible] की बहस पर वाद पत्र एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 28.10.2020 [illegible] डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा [illegible] कुचामनसिटी ने बंटवारा स्कीम पत्रांक भू0अ0/2020/1367 दिनांक 15.12.2020 के द्वारा भिजवाई गई, बंटवारा स्कीम शामिल मिसल उपलब्ध है। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि वादी का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:26:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

वाद वादीगण डिक्री कर घोषणा कर आदेशित किया जाता है कि ग्राम कुकनवाली के खसरा नम्बर 574 रकबा 0.15 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी, खसरा नम्बर 575 रकबा 1.70 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 578 रकबा 0.39 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.26 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 588 रकबा 0.91 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 590 रकबा 1.43 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 591 रकबा 2.41 हैक्टर बारानी प्रथम कुल रकबा 7.25 हैक्टर में स्थित हिस्सा वादीगण टिंकू नागरमल विनोद पुत्र रामकुमार जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार का हक हिस्सा 1.0450 हैक्टर में खसरा नम्बर 575 रकबा 1.70 हैक्टर में से 0.8050 हैक्टर पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 578 रकबा 0.39 हैक्टर में से 0.24 हैक्टर का तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत पी.डी. रिपोर्ट अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष खसरान एवं रकबे में से वादीगण का नाम हटाया जाता है, खसरा नम्बर 575 रकबा 1.70 हैक्टर में से 0.8950 पश्चिमी तरफ, खसरा नम्बर 574 रकबा 0.15 हैक्टर में तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत पी.डी. रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या एक नटवरलाल पुत्र नन्दलाल ब्राहम्ण सा. देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खसरान एवं रकबे से नाम हटाया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:26:15 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 50 / 2019 **RCMS 2019/00096**

वादीगण

1. नागरमल पुत्र रामकुमार
2. विनोद पुत्र रामकुमार
3. टिंकू पुत्र रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासीगण कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नटवरलाल पुत्र नन्दलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कुकनवाली
2. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र जीवणनाथ
3. नरपतनाथ पुत्र किशननाथ
4. रामेश्वरनाथ पुत्र किशननाथ
5. विद्यादेवी पत्नी जीवणनाथ
6. प्रभातीदेवी पत्नी किशननाथ जाति समस्त योगी निवासीयान कुकनवाली
7. बिशनसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत
8. सुरज करण पुत्र छीगनाराम जाति खटी निवासी कुकनवाली
9. सम्पत कुमार पुत्र जीवननाथ जाति योगी निवासी कुकनवाली
10. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामनसिटी
11. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा वास्ते इस्तकरार हक, भू–विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री माणकचन्द अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादीगण डिक्री कर घोषणा कर आदेशित किया जाता है कि ग्राम कुकनवाली के खसरा नम्बर 574 रकबा 0.15 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी, खसरा नम्बर 575 रकबा 1.70 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 578 रकबा 0.39 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.26 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 588 रकबा 0.91 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 590 रकबा 1.43 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 591 रकबा 2.41 हैक्टर बारानी प्रथम कुल रकबा 7.25 हैक्टर में स्थित हिस्सा वादीगण टिंकू नागरमल विनोद पुत्र रामकुमार जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार का हक हिस्सा 1.0450 हैक्टर में खसरा नम्बर 575 रकबा 1.70 हैक्टर में से 0.8050 हैक्टर पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 578 रकबा 0.39 हैक्टर में से 0.24 हैक्टर का तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत पी.डी. रिपोर्ट अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष खसरान एवं रकबे में से वादीगण का नाम हटाया जाता है, खसरा नम्बर 575 रकबा 1.70 हैक्टर में से 0.8950 पश्चिमी तरफ, खसरा नम्बर 574 रकबा 0.15 हैक्टर में तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत पी.डी. रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या एक नटवरलाल पुत्र [illegible] काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खसरान एवं रकबे से नाम हटाया जाता है। [illegible] खाते [illegible] दस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का [illegible] जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर र[illegible] वाद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:26:15 IST
Reason: SelfAttested

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12 माह 03 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा
कुचामन सिटी (नागौर) (मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:26:15 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक /भू.अ./2020/1367 दिनांक –15.12.2020

प्रेषित –

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय – राजस्व वाद सं. 50/2019 नागरमल बनाम नटवरलाल में पारित प्राथमिक डिक्री की पालना बाबत् ।

प्रसंग – श्रीमान के पत्रांक कोर्ट/2020/636 दिनांक 29.10.2020

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयांतर्गत निवेदन है कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 50/2019 नागरमल बनाम नटवरलाल में पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम भू अभिलेख निरीक्षक पांचवा व पटवारी हल्का कुकनवाली की उपस्थिति में तैयार की गई है।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

15.12.20

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी
तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:26:15 IST
Reason: SelfAttested